न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 57/2021 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2021/66

1. सर्वजीत कौर पुत्री श्री कृष्ण सिंह पत्नी दीदार सिंह जाति जट सिख निवासी दादूवाल तहसील बढ़शंकर जिला होशियापुर जरिये मु.आम. सुखवीर सिंह पुत्र श्री गुरजीत सिह जाति जट सिख निवासी 24 पी एस तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. हरभजन सिंह पुत्र उधम सिंह जाति जटसिंख निवासी चक 24 पी.एस तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेश मोहता अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 16.06.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हरभजनसिंह पुत्र उधमसिंह द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के बाद जरिये मुख्त्यारआम श्री सुखवीरसिंह पुत्र गुरजीतसिह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रायसिंहनगर ने श्री कृष्णसिंह पुत्र श्री छाजूराम के द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 24 पीएस में मु.न 31 प.न 205/283 के किला नंबर 05 के 0.05 बिस्वा की हरभजन सिंह पुत्र उधमसिंह के पक्ष में करवाई गई वसीयत अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने को आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के उक्त आदेश दिनांक 16.06.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक आवेदन पत्र पेश इस आश्य का दिया गया कि अपीलांट के पिता द्वारा उसके हक में दिनांक 09.08.1990 को वसीयत चक 24 पी.एस मुरब्बा नंबर 31 पत्थर संख्या 205/283 के 0.05 हैक्टर की वसीयत करवाई थी जो नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 09.08.1990 को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तरदीक हुई है। वसीयतकर्ता दिनांक 30.05.1992 को फौत हो चुका है। वसीयत के आधार पर इंतकाल तरदीक किया जावें। दिनांक 01.07.2019 को आवेदन पत्र दिया जिसमें नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट खुद दिनांक 10.07.2019 को खुद अनुपस्थित और अपीलांट की ओर से मुख्तयारआम उपस्थित हुआ। प्रार्थना–पत्र खारिज करने के लिए निवेदन किया। 18.07.2019 को फिर आवेदनकर्ता अनुपस्थित, 25.07.2019 को फिर अनुपस्थित, 28.8.2019 को फिर अनुपस्थित, 30.9.2019 को फिर अनुपस्थित, 22.10.2019 को फिर अनुपस्थित, 04.11.2019 को फिर अनुपस्थित, 28.2.2020 को फिर अनुपस्थित, 13.3.2020 को उपस्थित हुआ। वसीयत मे जो गवाह थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और दिनांक 03.04.2020 को उपस्थित हो उसके बाद दिनांक 02.06.2020 को अनुपस्थित और 16.06.2020 को बिना अप्रार्थी के एतराज को डिसाईड किये, इंतकाल तरदीक करने का आदेश दिया। जो विधिविरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकतरफा है। दिनांक 13.03.2020 के बाद कोविड–19 का संक्रमण होने के कारण राजस्व न्यायालय में कार्य स्थगित कर दिये गये थे जो राजस्व मण्डल द्वारा पहले दिनांक 14.06.2020 तक थे अब दिनांक 30.06.2020 तक कार्य स्थगित किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के बिना विधिक प्रक्रिया अपनाने, कार्य स्थगित होते हुए भी निर्णय कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जो आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2019 को दिया उसकी वसीयत 1990 में की गयी थी। वर्ष 1992 में वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई और 28 वर्ष बाद उस वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के लिए निवेदन किया। अपीलांट के पिता यहां रहता नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 परिवार के सदस्य थे, जमीन शहर के पास है, ऑन रोड है और 5 बिस्वा की वसीयत फर्जी बनाकर 28 वर्ष बाद वसीयत के आधार पर इंतकाल करने के लिए निवेदन किया और वह भी वसीयत रजिस्टर्ड नही थी। अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमावें या अन्य दादरसी मुफिद अपीलांट को प्रदान की जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पूर्व में वादगत भूमि पर कुटिया बनाकर रहता था। उक्त जगह अपीलांट के पिता के कहने पर खाली करने पर फिर अपीलांट के पिता द्वारा चक 24 पी.एस मुरब्बा नंबर 31 पत्थर नंबर 205/283 के 0.05 हैक्टयर की वसीयत करवाई थी। वसीयत का इंतकाल 26 वर्ष पश्चात तस्दीक करवाया गया है जबकि इंतकाल कभी भी तस्दीक करवाया जा सकता है। जहां तक अपीलांट का यह कहना है कि वसीयत रजिस्टर नही थी। वसीयत रजिस्टर होनी जरूरी नहीं है। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत करते वक्त शपथ–पत्र भी लिखकर दिया था इसलिए वसीयत में किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी नहीं है। वसीयत कर्ता वसीयत दिवार पर लिखने पर भी मान्य है। वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल के दिन कोई लांकडाउन नही था। अपीलांट द्वारा उक्त अपील मुझ प्रार्थी को अनावश्यक परेशान करने की नियत से की गई है। वसीयत अगर फर्जी है तो इनके सिविल कोर्ट में वाद पेश करना चाहिए था। अतः अधिनस्थ न्यायालय को आदेश दिनांक 16.06.2020 यथावत रखा जावें। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4—हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 16.06.2020 द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2020 पारित करते समय कोविड—19 की महामारी होने के कारण राजस्व न्यायालय में कार्य स्थगित कर किया गया था अधीनस्थ न्यायालय ने कार्य स्थगित होते हुए भी निर्णय कर दिया, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2020 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर रो कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर